(ख) राज्यों के समग्र योजना परिव्यय के वित पोषण के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋणों एवं अनुदानों के रूप में दी जाती है, राज्यों का क्षेत्र/उपक्षेत्रवार वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित विवरण सहित अनुबंध 1 से 6 में दिया गया है।

(1) अनुपत्र 1 तथा 2 1993-94 की वार्षिक योजना के लिये संशोधित अनुमोदित परिव्यय तथा वास्तविक व्यय। [देखिये परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 55]

(2) अनुपत्र 3 तथा 4 1994-95 की वार्षिक योजना के लिये अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित अनुमोदित परिव्यय। [देखिये परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 55]

(3) अनुपत्र 5 तथा 6 1994-95 की वार्षिक योजना के लिये अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित अनुमोदित परिव्यय। [देखिये परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 55]

Allocation of Petrol Pump dealerships by Delhi Oil Board

2428. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be please state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem appear-' ing in Hindustan Times dated the 13th July, 19% captioned "petrol pump deal erships";

(b) whether Delhi Oil Board allocated petrol pump dealerships to persons who did not fulfil the minimum stipulated condition for being awarded retail outlets, during the last five years; and

(c) if so, the details of the alleged beneficiaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Complaints have been received alleging irregularities in the award of dealerships/distributorships by the Oil Selection Board for Delhi. Irregularities brought to the notice of the Government are inquired into and in proven cases punitive action including termination of dealerships is taken in consultation with the Oil Industry.

Allotment of land to holders of letters of intent

2429. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be please state:

(a) whether Government have issued any direction to the DDA for allotment of land to holders of letters of intent for LPG distributorship to cover the cases upto the 31st December, 1994 and if so, the steps taken so far in the matter of identification and allotment of land for the purpose; and

(b) the number of cases in which the land is likely to be allotted by the end of 1996?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VEN-KATESWARLU): (a) The Government has not issued any direction to the DDA for the allotment of land to holders of letter of intent (LOI) for LPG distributorship.

(b) The DDA has reported that the identificationtarving out of sites is a continuous planning process. During the year 1994, 1995 and 1996 (upto 26.8.1996), 38 sites have been identified out of which 26 sites have been allotted and the LOI holders upto 1993 have been allotted sites. The 12 sites will be allotted to the waiting LOI holders as pet seniority list. Allotment to the remaining LOI holders in the waiting list depends on the availability of sites for which no definite date can be given.

वन्य ग्रामों के लिए प्रदत्त धनराशि का उपयोग न किया जाना

2430. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वन्य ग्रामों में निवास करने वाले व्यक्तियों को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से प्रदत्त धनराशि का उपयोग करने से वंचित रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई शिकायत/सूचना नहीं मिली है।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

2431. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के क्षेत्र में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस क्षेत्र में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में और अधिक निवेश और अनुसंधान की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में और अधिक विकास और प्रगति के लिए अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित किया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत दोहन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन की गई प्रगति तालिका — विवरण-1 में दर्शाई गई है (नीचे देखिए)।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान निर्मुक्त राज्यवार राशि तालिका — विवरण-2 में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार ने नई लक्ष्योन्मुखी तथा उद्योग संचालित अनुसंधान तथा विकास रणनीति की घोषणा की है जो 1994-95 से कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 1996-97 के लिए मुख्य कार्यक्रमों के लिए योजना के ब्यौरे तालिका — (विवरण-3) में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ङ) जी हां। सरकार ने इस क्षेत्र में और विकास के लिए अप्रवासी भारतीयों सहित विदेशों से निजी क्षेत्र भागीदारी को आमंत्रित किया है।

विवरण-1

क्रम सं०	कार्यक्रम	यूनिट	उपलब्धि मार्च, 1996 तक
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	लाख सं०	23.59
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	1623
3.	उन्नत चूल्हा	लाख सं०	225
4.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	ब्लॉक	668
5.	सौर तापीय प्रणालियां	वर्गमीटर क्षेत्र में	3,64,354
6.	सौर कुकर	संख्या	4,06,642
7.	सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां	संख्या	37,359
8.	सौर प्रकाशवोल्टीय सिंचाई पंप	संख्या	1704
9.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत यूनिट	(के०डब्ल्यू)	909.30
10.	सौर लालटेन	संख्या	81,059
11.	सौर सड़क रोशनी	संख्या	30,999
12.	पवन पंप	संख्या	3158
13.	पवन बैटरी चार्जर	संख्या	121
14.	पवन फार्म	मेवा०	732
15.	बायोमास आधारित विद्युत सहउत्पादन	मेवा०	31
16.	बायोमास स्टैंडलोन गैसीफायर	मेवा०	22
17.	ऊर्जा ग्राम परियोजना	संख्या	218